न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(शिवचरण मीना,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 37/2023

प्रविष्टि दिनांकः– 24.02.2023

जगदीश पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोर, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

.... अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

.... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार टोडारायसिंह दिनांक 03.02.2023 प्रकरण संख्या 1772/2022

उपस्थितः (1)श्री मनीष कासलीवाल, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री रामप्रसाद कुमावत, पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> **दिनांक 30.06.2023**

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोडारायसिंह ने अपने आदेश दिनांक 03.02.2023 द्वारा अपीलांट को भूमि आराजी खसरा नम्बर 2504 रकबा 1 हैक्टर किस्म चरागाह वाके ग्राम मोर तहसील टोडारायसिंह पर फसल काश्त कर अतिक्रमण करने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलांट को बेदखल किये जाने, वार्षिक लगान 7 रूपये की 50 गुणा पेनल्टी 350/– रूपये जमा कराने एवं 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

प्रकरण मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की प्रोपर तामिल अपीलांट पर नहीं हुई, उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न मौके का निरीक्षण किया। अपीलांट के विरूद्ध हलका पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट की गई है, पटवारी हलका की रिपोर्ट दुर्भावना पूर्वक की गई है, जिससे निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दोषपूर्ण है। अपीलांट को पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किये जाने बाबत हलका पटवारी द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है और न ही इस बाबत कोई विश्वसनीय सबूत योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है जिससे अपीलांट के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। उक्त प्रकरण में अपीलांट को पटवारी से जिरह करने का भी कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर भारी कानूनी भूल की है। अपीलांट ने नियमानुसार पेनल्टी की राशि जमा करवा दी है, अपीलांट का मौके पर किसी भी चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट को सजायाब किये जाने से पूर्व विधिअनुसार अपीलांट को साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। अपीलांट द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण कर सरसों की फसल काश्त नहीं की है और ना ही अपीलांट का किसी चारागाह भूमि से कोई संबंध है। अपीलांट ने उक्त आराजी भूमि पर से कब्जा हटा लेने व भविष्य में अतिक्रमण/कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है एवं अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अतिक्रमी ने भूमि आराजी खसरा नम्बर 2504 रकबा 1 हैक्टर किस्म चरागाह वाके ग्राम मोर तहसील टोडारायसिंह पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। हलका पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अतिक्रमी ने राजकीय चरागाह भूमि पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया था। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी उक्त चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मिसल संख्या 1097 निर्णय दिनांक 27.08.2021 से भौतिक रूप से बेदखल किया गया था परन्तु अपीलांट ने पुनः अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का के रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बंर 2504 रकबा 1 हैक्टर किस्म चरागाह वाके ग्राम मोर तहसील टोडारायसिंह पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर कब्जा किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मिसल संख्या 1097 निर्णय दिनांक 27.08.2021 द्वारा बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा दौराने बहस कब्जा हटा लेने बाबत् शपथ पत्र पेश किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि पूर्व में अतिक्रमी का उक्त भूमि पर कब्जा रहा था। अतिक्रमी के पास जीविकोपार्जन के लिए कृषि भूमि होते हुए भी अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को पूर्व में भी उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल किया था परन्तु उसके उपरांत भी अतिक्रमी द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

आदतन अतिक्रमी है। अतिक्रमित भूमि सार्वजनिक उपयोग की चरागाह भूमि हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में विहित सार्वजनिक उपयोग की प्रतिबन्धित राजकीय भूमि की श्रेणी में आती है जिसे किसी भी प्रकार आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण होने से आमजन को असुविधा होती है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण से ग्राम के मवेशियों के सामने चरने/विचरण करने का संकट पैदा कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस.एल.पी (सी) नम्बर 1132/2011 उनवान जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डी.बी. सिविल सिविल रिट याचिका संख्या 8045/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2016 में भी अतिक्रमण को रोकने के लिए ठोस कार्यवाही किये जाने बाबत उल्लेखित किया है। अतः ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 03.02.2023 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवचरण मीना)

अति.जिला कलेक्टर,टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक